

रिपोर्ट पटवारी व भू. अ. निरीक्षक

श्रीमान्जी,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी पैतृक होने एवं प्रार्थी का वास्तविक नाम कालूराम वाद भगाश होने से नम/ वदियत/ जाति दुरुस्त किये जाने योग्य है।

श्रीम
पटवारी श्री. प्र. माल्या
10/11/2017

प्रमोद
भू-अभिलेख निरीक्षक
13-11-17

प्रमोद
तहसीलदार, आहोर

रिपोर्ट तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, आहोर

पटवारी/ भू-अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट एवं मजमें आम में प्राप्त जानकारी अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

श्री
13/11/17

श्री
15/11/17
तहसीलदार, आहोर
तहसीलदार, आहोर

उप तहसीलदार भाद्राजूर
तहसील-आहोर (जिला-जालोर)

आदेश

प्रार्थना पत्र सं. 243/2017

दिनांक 16-11-17

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू. रा. अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, आहोर को आदेशित किया जाता है, कि माफिक ईशतदुआ राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय लोक अदालत में सुनाया गया।



श्री
उपखण्ड अधिकारी
आहोर, जिला-जालोर